

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-01

सं.6-9(131)/05.E.III

दिनांक: 07.03.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सूचना का स्वप्रेरणा (Suo motu) प्रकटन का कार्यान्वयन सम्बन्धी

सन्दर्भ : दिनांक 15.04.2013 का कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011-IR

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी ने डॉ. (श्रीमती) रमा स्वामी बंसल, मुख्य वैज्ञानिक को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण दिशा निर्देशों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीएसआईआर के लिए नोडल अधिकारी तथा पारा 5(iv) के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को कंसल्टेंसी समिति का सदस्य नामित किया गया है:

क. श्री आर.पी. सिंह, मुख्य वैज्ञानिक	-----अध्यक्ष
ख. श्री उपेन्द्र कुमार, उप वित्तीय सलाहकार	-----सदस्य
ग. श्री जयपाल सिंह बनाफल, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	----- सदस्य


(एस.एस.मडल)
अनुभाग अधिकारी

प्रति :

1. डॉ.(श्रीमती) रमा स्वामी बंसल, मुख्य वैज्ञानिक तथा प्रमुख, इस्टैड
2. श्री आर.पी. सिंह, मुख्य वैज्ञानिक, सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली-
3. श्री उपेन्द्र कुमार, उप वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली-
4. श्री जयपाल सिंह बनाफल, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली-
5. डॉ. सुदीप कुमार, प्रमुख, मिशन निदेशालय/आरपीपीबीडीडी/यूएसडी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, परिषद मुख्यालय
6. श्री संजय कुमार, अवर सचिव तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली-
7. अनुभाग अधिकारी, आरटीआई-प्रकोष्ठ, सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली
8. सयुक्त सचिव, सीएसआईआर का कार्यालय
9. उप सचिव (के.का.) के निजी सचिव
10. प्रमुख-आईटी प्रभाग; को इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के अनुरोध के साथ
11. कार्यालय-प्रति